उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
संख्याः 234/ग0सु0अ0–157/वि.स.(कैम्प)/2017
लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2017

आदेश

सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज लि., इकाई अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली, जनपद–शामली द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा–15(4) सपठित नियम–23, उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 की धारा–15(4) एवं गन्ना नियंत्रण आदेश वर्ष 1966 के प्राविधान–11 (2) के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के सुरक्षण आदेश संख्या–28/सी/क्रय–सुर0/2017–18, दिनांक 28.10.2017 के द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 शामली, जनपद–शामली के गन्ना कयकेन्द्र–जलालपुर समसपुर–द्वितीय को मै0 इण्डियन पोटाश शुगर लि0, इकाई तितावी, जनपद–मुजफ्फरनगर के पक्ष में अभ्यर्पित किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या–157 दायर की गयी है। दोनों पक्षों को नोटिस जारी की गयी।

अपील संख्या–157

अपीलार्थी सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज लि., इकाई अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली का यह कथन है कि पेराई क्षमता 6250 टी.सी.डी. है। इस चीनी मिल को गन्ना आयुक्त द्वारा पेराई सत्र 2017–18 में 98.26 लाख कुन्तल गन्ने की आवश्यकता का आंकलन किया गया है और गन्ना क्षेत्रफल 20214 के साथ 170.48 लाख कु0 गन्ना उत्पादन आवंटित किया गया है।

विगत पेराई सत्रों में अपीलार्थी चीनी मिल को सुरक्षित रहे क्रयकेन्द्र–जलालपुर–समसपुर को दो भागों में विजाजित कर, जलालपुर–समसपुर प्रथम को अपीलार्थी चीनी मिल को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है तथा जलालपुर–समसपुर–द्वितीय को बिना किसी कारण सुरक्षण से निरस्त करते हुए कयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर द्वितीय को वर्तमान पेराई सत्र में प्रतिवादी चीनी मिल के पक्ष में अभ्यर्पित किया गया है।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि प्रस्तुत अपील मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–52332/2017 में पारित आदेश दिनॉक 08.11.2017 के कम में प्रस्तुत की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील को 07 दिन में अपीलीय अधिकारी के समक्ष दायर करने हेतु पारित किया गया है। अपील समय एवं नियमानुसार है।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि सुरक्षण के अनुसार कयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय की दूरी अपीलार्थी से 10 कि.मी. एवं प्रतिवादी चीनी मिल से 18 कि.मी. है। अतएव दूरी का कारक अपीलार्थी चीनी मिल के पक्ष में है।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि कयकेन्द्र–जलालपुर–समसपुर स्थापनाकाल से ही अपीलार्थी चीनी मिल का सुरक्षित क्षेत्र का कयकेन्द्र रहा है। पेराई सत्र 2016–17 में जलालपुर–समसपुर कयकेन्द्र का एरिया 138 हेक्टेयर व अनुमानित गन्ने का उत्पादन 117 लाख कुन्तल है। पेराई सत्र 2017–18 में प्रश्नगत कयकेन्द्र

website पर upload करें।
21.12.2017

जलालपुर–समसपुर को दो भागों में विभाजित कर जलालपुर–समसपुर–प्रथम पर गन्ना क्षेत्रफल 54 हे0, गन्ना उत्पादन 0.46 लाख कु0 एवं जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) पर गन्ना क्षेत्रफल 84 हे0, गन्ना उत्पादन 0.71 लाख कु0 है, जबकि पेराई सत्र 2017–18 में गन्ना क्षेत्रफल 98 हेक्टेयर व उत्पादन 0.83 लाख कु0 का क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) बनाकर प्रतिवादी चीनी मिल मै0 इण्डियन पोटास लि0, इकाई तितावी, जनपद–मुजफ्फरनगर को अभ्यर्पित कर दिया गया है।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) से रास्ता पूर्णतः सीधा व आसान है, जिसमें किसी प्रकार के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि प्रतिवादी चीनी मिल का रास्ता क्रयकेन्द्र से घुमावदार व गॉव के रास्ते से होकर जाता है। यातायात में अत्याधिक कठिनाई एवं अव्यवस्था होती है तथा हमेशा खतरा बना रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) अपीलार्थी चीनी मिल का सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण अपीलार्थी के हक में ही किया जाना आवश्यक है। उक्त क्रयकेन्द्र अभ्यर्पित किये जाते समय विधिक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए अभ्यर्पित किया गया है।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि पेराई सत्र 2016–17 का गन्ना मूल्य भुगतान शत–प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्र के सभी कृषक गन्ना मूल्य के भुगतान से सदैव संतुष्ट रहे हैं।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) बनाने से पूर्व जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी चीनी मिल से कोई राय नहीं ली है और न ही कोई पत्राचार किया है, जबकि सहकारी गन्ना विकास समिति का प्रस्ताव अपीलार्थी चीनी मिल के हक में है।

अपीलार्थी चीनी मिल का कथन है कि शासनादेश दिनॉक 21.05.2001 के अनुसार एक मिल के सुरक्षित केन्द्र विभाजित करके किसी दूसरी चीनी मिल को अभ्यर्पित नहीं किये जाने चाहिए और क्रयकेन्द्रों का विभाजन भी नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी केन्द्र से संबद्ध क्षेत्र में गन्ने की अधिक उपलब्धता है और अतिरिक्त क्रयकेन्द्र सुविधा की आवश्यकता है तो सम्बन्धित चीनी मिल को ही अतिरिक्त क्रयकेन्द्र स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी चीनी मिल द्वारा उक्त अपने सुरक्षित गन्ना क्षेत्र के विकास कार्य हेतु काफी धनराशि व्यय कर विकास कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत गन्ना उत्पादन हेतु उन्नति किस्म के गन्ना बीज, खाद, इन्सेक्टीसाइड, पेस्टीसाइड व आवागमन के सुगम साधन करवाये हैं, जिससे कृषक गन्ना उत्पादन व रख–रखाव को सुचारू रूप से कर सकें, जबकि प्रतिवादी चीनी मिल द्वारा अपने गन्ना क्रयकेन्द्र क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी चीनी मिल द्वारा क्रयकेन्द्र–जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) को अपने पक्ष में अभ्यर्पित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अपील संख्या–157 के सम्बन्ध में प्रतिवादी चीनी मिल मै0 इण्डियन पोटाश शुगर लि0, इकाई तितावी, जनपद–मुजफ्फरनगर द्वारा दिये गये जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि गन्ना क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) नियम–22 को ध्यान में रखते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा प्रतिवादी चीनी मिल को अभ्यर्पित किया गया है।

प्रतिवादी चीनी मिल की पेराई क्षमता 10500 टी.सी.डी. है। गन्ना आयुक्त द्वारा इस पेराई सत्र में इस चीनी मिल के लिये 153.05 लाख कु0 गन्ने की आवश्यकता निर्धारित की गयी है। गन्ना क्षेत्रफल 17072 हेक्टेयर के साथ 141.56 लाख कु0 गन्ना उत्पादन आवंटित किया गया है। प्रतिवादी चीनी मिल को वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने की भारी कमी होने की सम्भावना है।

प्रतिवादी चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2016–17 का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है तथा वर्तमान पेराई सत्र में भी समय गन्ना मूल्य भुगतान के लिए वचनवद्ध है।

प्रतिवादी चीनी मिल का यह भी कथन है कि प्रश्नगत क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर– द्वितीय (नया) उत्तरदाता चीनी मिल के पक्ष में आवंटित किये जाने का मुख्य कारण प्रतिवादी चीनी मिल की आवश्यकता है। प्रश्नगत क्रयकेन्द्र के कृषकों एवं सम्बन्धित गन्ना समिति के विचार इण्डियन पोटाश शुगर लि0, इकाई तितावी के पक्ष में है।

प्रतिवादी चीनी मिल का यह भी कथन है कि पेराई सत्र 2005–06 में प्रतिवादी चीनी मिल क्षेत्र के आस–पास दो नई चीनी मिलों (भैसाना व थानाभवन) के स्थापित होने के कारण चीनी मिल का लगभग 5200 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल नई चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया था, जिसके कारण 2005–06 से प्रत्येक पेराई सत्र में चीनी मिल को गन्ने की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की कमी के कारण प्रतिवादी चीनी मिल को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये सभी स्रोतों से सहायता की आवश्यकता है।

प्रतिवादी चीनी मिल का कहना है कि गन्ना आवंटन आवश्यकता के अनुसार न होने के कारण चीनी मिल को स्थापित पेराई क्षमता के अनुरूप नहीं चला पायेगी और चीनी उत्पादन कम होने के कारण उत्पादन पर होने वाले व्यय बढ़ने से चीनी मिल को अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

प्रतिवादी चीनी मिल द्वारा क्षेत्र से गन्ना ट्रांसपोर्ट की सुदृढ़ व्यवस्था कर रखी है तथा प्रश्नगत क्रयकेन्द्र पक्के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपने गन्ना क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस कारण नियम–22 के अन्तर्गत गन्ना क्रयकेन्द्र मा0 न्यायालय के आदेश के पश्चात् बदली हुई परिस्थिति में गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षण आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य एवं न्यायहित में प्रश्नगत क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय(नया) को अपीलार्थी चीनी मिल की अपील संख्या–157 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

गन्ना आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अपील संख्या–157 में अवगत कराया गया है कि चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्र का सुरक्षण/अभ्यर्पण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–15 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के नियम–22 के अन्तर्गत सभी सुसंगत बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तद्नुसार ही क्रयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय(नया) के बारे में सुसंगत कारकों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षण आदेश जारी किया गया है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी चीनी मिल की अपील निरस्त करने योग्य है।

विवेचना

अपील संख्या–157 / 2017–18 के निस्तारण के सम्बन्ध में अपीलार्थी चीनी मिल द्वारा मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में दायर रिट याचिका 52332 / 2017 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

> " It is provided that if the appeal is filed by the petitioner with in 07 days, it shall be concicerd and decided in accordance with law after affording opportunity to the parties, expeditiously within three weeks, by means of a reasoned order. We make it clear that there should not be any complaint to the Court that the appeal has not been decided within the said period."

मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उक्त अपील संख्या–157 के निस्तारण हेतु दोनों पक्षकारों के साथ सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि गन्ना आयुक्त के सुरक्षण आदेश संख्या–28 / सी / क्रय–सुर0 / 2017–18 दिनांक 28.10.2017 के द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, शामली, जनपद–शामली के कयकेन्द्र–जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) प्रतिवादी चीनी मिल मै0 इण्डियन पोटाश लि0, इकाई तितावी के पक्ष में अभ्यर्पित किया गया है।

अपीलार्थी चीनी मिल की पेराई क्षमता 6250 टी.सी.डी. है। गन्ना आयुक्त द्वारा पेराई सत्र 2017–18 में इस चीनी मिल के लिए गन्ने की आवश्यकता का आंकलन 98.26 लाख कुन्तल किया गया है तथा गन्ना क्षेत्रफल 20214 हेक्टेयर के सापेक्ष 170.48 लाख कु0 गन्ना उत्पादन आवंटित किया गया है। जब कि प्रतिवादी चीनी मिल की पेराई क्षमता 10500 टी.सी.डी. है। गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना पेराई हेतु 153.05 लाख कु0 गन्ने की आवश्यकता है। गन्ना आयुक्त द्वारा पेराई सत्र 2017–18 में इस चीनी मिल के लिए गन्ने की आवश्यकता 153.05 लाख कु0 आंकलित की गयी है तथा गन्ना क्षेत्रफल 17072 हेक्टेयर के सापेक्ष 141.56 लाख कु0 गन्ना उत्पादन आवंटित किया गया है।

गतवर्ष अपीलार्थी चीनी मिल अपर दोआब शुगर मिल्स शामली, जनपद–शामली ने दिनॉक 05.11.2016 को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनॉक 21.5.2017 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 202 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित / अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 160.19 लाख कुन्तल गन्ना में से उत्पादन में से 102.73 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की, जबकि प्रतिवादी चीनी मिल मै0 इण्डियन पोटाश शुगर लि0, तितावी, जनपद–मुजफ्फरनगर, परिक्षेत्र–सहारनपुर ने दिनॉक 09.11.2016 को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनॉक 19.04.2017 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 153 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित / अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 123.10 लाख कुन्तल गन्ना में से उत्पादन में से 123.37 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी।

अपीलार्थी चीनी मिल की दूरी सुरक्षण के अनुसार कयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) की दूरी अपीलार्थी से 10 कि.मी. है, जबकि प्रतिवादी चीनी मिल से 18 कि.मी. है। अतएव दूरी का कारक अपीलार्थी चीनी मिल के पक्ष में है। गन्ना किसान मिल गेट पर ही अपने गन्ने की आपूर्ति करते हैं।

अपीलार्थी चीनी मिल तथा प्रतिवादी चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2016–17 का गन्ना मूल्य का भुगतान शत–प्रतिशत कर दिया गया है।

अपीलार्थी चीनी मिल से कयकेन्द्र–जलालपुर–समसपुर–द्वितीय (नया) से रास्ता पूर्णतः सीधा व आसान है जिसमें किसी प्रकार के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अपीलार्थी चीनी मिल की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था उत्तम है, जबकि प्रतिवादी चीनी मिल का रास्ता कयकेन्द्र से घुमावदार व गॉव के रास्ते से होकर जाता है। यातायात में अत्याधिक कठिनाई एवं अव्यवस्था होती है तथा हमेशा खतरा बना रहता है।

अपीलार्थी चीनी मिल द्वारा अपने सुरक्षित गन्ना क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु काफी धनराशि व्यय की गयी है तथा गन्ना उत्पादन हेतु उन्नति किस्म के गन्ना बीज, खाद, इन्सेक्टिीसाइड, पेस्टिसाइड व आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे कृषक गन्ना उत्पादन व रख–रखाव को सुचारू रूप से कर सकें। प्रतिवादी चीनी मिल द्वारा भी अपने गन्ने के क्षेत्र में विकास कार्यो हेतु तत्पर एवं सजग रही है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, शामली का प्रस्ताव कयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर के विभाजन के पक्ष में नहीं है। गन्ना आयुक्त द्वारा इस केन्द्र का विभाजन करते समय अपीलार्थी चीनी मिल का पक्ष नहीं सुना गया है, जबकि शासनादेश दिनॉक 21 मई, 2001 में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में नया कयकेन्द्र स्थापित किया जाता है, तो नये स्थापित कयकेन्द्र को पूर्व में संचालित चीनी मिल को ही आवंटित किया जायेगा। चूंकि कयकेन्द्र–जलालपुर–समसपुर अपीलार्थी चीनी मिल का सुरक्षित केन्द्र है, इसलिये गन्ना आयुक्त द्वारा विभाजित किये गये कयकेन्द्र को अपीलार्थी चीनी मिल के पक्ष में ही नियमानुसार आवंटित किया जाना चाहिये था, न कि प्रतिवादी चीनी मिल को।

यह भी स्पष्ट करना है कि विगत पेराई सत्रों से जलालपुर–समसपुर कयकेन्द्र अपीलार्थी चीनी मिल का सुरक्षित क्षेत्र है और विगत वर्ष में भी अपीलार्थी के सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण गन्ने की सप्लाई अपीलार्थी चीनी मिल को ही होती रही है। स्थानीय किसान अपीलार्थी चीनी मिल की व्यवस्था से पूर्णतया संतुष्ट रहे हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर उ.प्र. गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–15 एवं तद् विषयक नियमावली, 1954 के नियम–22 के अधिकांश कारक अपीलार्थी चीनी मिल के पक्ष में हैं। गन्ना आयुक्त के स्तर से निर्गत मानक सिद्धांत दिनांक 09.08.2000 तथा शासनादेश दिनॉक 21.05.2001 को नजरअंदाज करते हुए कयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय नया के रूप में विभाजन किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतएव नियम–22 के अधिकांश कारक अपीलार्थी चीनी मिल के पक्ष में होने के कारण अपील संख्या–157 स्वीकार किये जाने योग्य है।

इस आधार पर अपील संख्या–157 स्वीकार करते हुए कयकेन्द्र जलालपुर–समसपुर–द्वितीय नया अपीलार्थी चीनी मिल के पक्ष में सुरक्षित किया जाता है।

गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के सुरक्षण आदेश संख्या–31/सी/क्रय–सुर0/2017–18, दिनांक 28.10.2017 एवं सुरक्षण आदेश संख्या–28/सी/ क्रय–सुर0/2017–18, दिनांक 28.10.2017 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव/अपीलीय प्राधिकारी।

5/2017-18

संख्याः 934(1)/ग0सु0अ0–157/वि0स0(कैम्प)/2017, तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अध्यासी, सरशादी लाल एन्टर प्राइजेज लि0, अपर दोआब शुगर मिल्स, जनपद–शामली ।
3. अध्यासी, मै0 इण्डियन पोटाश शुगर लि0, इकाई तितावी, जनपद–मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, शामली, जनपद–शामली।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव/अपीलीय प्राधिकारी।